इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2024—माघ 24, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2587-30-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No 1 of 2024

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2024

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment to the long title of the Act.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 5.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 21.
7. Amendment of Section 24.
8. Amendment of Section 28.
9. Amendment of Section 61.

MADHYA PRADESH BILL

No 1 OF 2024

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA

(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2024

A Bill to further amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and nothing contained in this Amendment Act shall apply to batches affiliated to the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya under the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) before the commencement of this Act.

Amendment to the long title of the Act.

2. In the long title of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), (hereinafter referred to as the principal Act), the word "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the Principal Act,-

(a) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) "Board" means the Employees Selection Board, Madhya Pradesh, Bhopal.".

(b) Clause (s) shall be omitted.

(c) Clause (v) shall be omitted.

(d) Clause (zh) shall be omitted.

Amendment of Section 5.

4. In Section 5 of the principal Act, in clause (xxxiii), for the word "VYAPAM", the words "Employees Selection Board" shall be substituted.

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (2), the words "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Nothing contained in this section shall apply in case of,—

(a) the colleges or schools or institutions which have not been approved by the Medical Council of India, Dental Council of India, Central Council of Homeopathy, Central Council of Indian Medicine, as the case may be, or the Government of Madhya Pradesh;

(b) teaching department of any University engaged in teaching of Medical, Dental, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh or allied subjects;

(c) the colleges or schools or institutions maintained by, or affiliated to, a University or Board established by the Central Government.".

6. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), in Group-C, in clause (xii), the word "Nursing" and word "Paramedical" shall be omitted. **Amendment of Section 21.**

7. In Section 24 of the Principal Act, in sub-section (1),- **Amendment of Section 24.**

(i) for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vii) two heads of Department from affiliated colleges to be nominated by the Chancellor by rotation, according to seniority.".

(ii) in clause (x), the word "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted.

8. In Section 28 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso to clause (v), the words "Indian Nursing Council" and the words "or Paramedical Council" shall be omitted. **Amendment of Section 28.**

9. In Section 61 of the Principal Act, in sub-section (1), the words "the Indian Nursing Council", and the words "or the Paramedical Council" shall be omitted. **Amendment of Section 61.**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) was enacted for the purpose of ensuring systematic, efficient and qualitative education in Medical, Dental, Nursing, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh, Paramedical and other allied subjects at Degree and Diploma level.

2. In view of the growing responsibilities of the Ayurvigyan Vishwavidyalaya and in view of the continuous rise in the number of nursing and paramedical institutions spread across the State and the growing annual intake of students, it is necessary that other recognised Government and Private Universities to take up the responsibility to provide for quality education in nursing and paramedical subjects at Degree and Diploma levels, while the Ayurvigyan Vishwavidyalaya can focus on providing quality education in Medical, Dental, Ayurvedic and other subjects as mentioned in the Statute except nursing and paramedical subjects.

3. Hence this Bill.

BHOPAL:

DATED THE 5th FEBRUARY, 2024

RAJENDRA SHUKLA
Member-In-Charge

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024—माघ 23, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2361-मप्रविस-16-विधान-2024.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 12 फरवरी 2024 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२४

विषय-सूची

खण्ड:

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

२. अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ५ का संशोधन.

५. धारा ६ का संशोधन.

६. धारा २१ का संशोधन.

७. धारा २४ का संशोधन.

८. धारा २८ का संशोधन.

९. धारा ६१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) के अधीन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध बैचों पर लागू नहीं होगी.

अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् शीर्ष में, शब्द "नर्सिंग" तथा शब्द "सह-चिकित्सा" का लोप किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,-

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग क) "मण्डल" से अभिप्रेत है, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.".

(ख) खण्ड (ध) का लोप किया जाए.

(ग) खण्ड (फ) का लोप किया जाए.

(घ) खण्ड (य ज) का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, खण्ड (तैंतीस) में, शब्द "व्यापम" के स्थान पर, शब्द "कर्मचारी चयन मण्डल" स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,-

(एक) उपधारा (२) में, शब्द "नर्सिंग" तथा शब्द "सह-चिकित्सा" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

(ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.''.

६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) में, समूह-ग में, खण्ड (बारह) में, शब्द ''नर्सिंग'' तथा शब्द ''सह-चिकित्सा'' का लोप किया जाए. **धारा २१ का संशोधन.**

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (१) में,- **धारा २४ का संशोधन.**

(एक) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''(सात) संबद्ध महाविद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे.''.

(दो) खण्ड (दस) में, शब्द ''नर्सिंग'' तथा शब्द ''सह-चिकित्सा'' का लोप किया जाए.

८. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (पांच) के परन्तुक में, शब्द ''भारतीय नर्सिंग परिषद्'' तथा शब्द ''अथवा सह-चिकित्सा परिषद्'' का लोप किया जाए. **धारा २८ का संशोधन.**

९. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, शब्द ''भारतीय नर्सिंग परिषद्'' तथा शब्द ''या सह-चिकित्सा परिषद्'' का लोप किया जाए. **धारा ६१ का संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और उपाधि एवं उपाधिपत्र स्तर पर अन्य सहबद्ध विषयों में व्यवस्थित, दक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) अधिनियमित किया गया है.

२. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बढ़ती जिम्मेदारियों की दृष्टि से और राज्य में चारों तरफ फैले हुए नर्सिंग एवं सह-चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में सतत् वृद्धि और छात्रों के बढ़ते हुए वार्षिक प्रवेश की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अन्य मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय उपाधि एवं उपाधिपत्र स्तर पर नर्सिंग एवं सह-चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नर्सिंग एवं सह-चिकित्सा विषयों को छोड़कर परिनियम में यथा उल्लिखित चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं अन्य विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर सकें.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ५ फरवरी, २०२४.

राजेन्द्र शुक्ल
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.